डिजिटल लॉकर क्या हैं? (What is Digital Locker?)

Chapter - 9

भारत सरकार ने 1 जुलाई 2015 को नागरिकों को पैन कार्ड, पासपोर्ट, मार्कशीट और डिग्री प्रमाणपत्र जैसे अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों को डिजिटल रूप से संग्रहीत करने में मदद करने के लिए डिजिटल लॉकर सुविधा शुरू की। यदि आप आधार नंबर से जुड़े हैं तो आप दस्तावेज़ अपलोड कर सकते हैं, आरसी कॉपी जैसे जारी किए गए दस्तावेज़ प्राप्त कर सकते हैं। यह सुविधा पाने के लिए बस आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड का नंबर डालकर आप डिजीटल लॉकर अकाउंट खोल सकते हैं।

इस सर्विस की सबसे खास बात यह है कि आप कहीं भी कही भी अपने दस्तावेज को डिजिटल लॉकर द्वारा उपयोग कर सकते हैं अब आपको बार-बार कागजों का प्रयोग नहीं करना होगा। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (डीईआईटीवाई) ने हाल ही में डिजिटल लॉकर का बीटा वर्जन लॉन्च किया है।

डिजिटल लॉकर या डिजीलॉकर भारत सरकार का एक मोबाइल ऐप और वेबसाइट है जहाँ आप अपने दस्तावेज़ जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट, मार्कशीट और डिग्री प्रमाणपत्र मुफ्त में अपलोड और स्टोर कर सकते हैं। आपको अपने सभी दस्तावेज़ों के लिए 1GB स्थान मुफ्त में दिया जाता है। मूल रूप से यह एक भौतिक लॉकर की तरह है जहां आप अपने आभूषण और दस्तावेजों को संग्रहीत करते हैं लेकिन यह लॉकर डिजिटल है और डिजिटल जानकारी संग्रहीत करेगा। यह eLocker आपको हर जगह भौतिक दस्तावेजों को ले जाने से मुक्त करता है।

क्या डिजिटल लॉकर सुरक्षित है? डिजिटल लॉकर उसी सुरक्षा का उपयोग करता है जिसका उपयोग सभी बैंक इंटरनेट बैंकिंग के लिए करते हैं। वे आपको ओटीपी, वन-टाइम पासवर्ड भेजने के लिए आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल पते का उपयोग करते हैं। यह एकमात्र तरीका है जिससे आप डिजिटल लॉकर तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं।

DigiLocker के लिए साइन अप करना आसान है – आपको बस अपना मोबाइल नंबर चाहिए।आपका मोबाइल नंबर एक OTP (वन-टाइम पासवर्ड) भेजकर प्रमाणित किया जाएगा, जिसके बाद उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड का चयन करेंगा। इससे आपका DigiLocker अकाउंट बन जाएगा।आपका DigiLocker खाता सफलतापूर्वक बनने के बाद, आप अतिरिक्त सेवाओं का लाभ उठाने के लिए स्वेच्छा से अपना आधार नंबर (UIDAI द्वारा जारी किया गया) प्रदान कर सकते हैं।

Uses of Digital Locker (डिजिटल लॉकर के उपयोग)

- नागरिक अपने डिजिटल दस्तावेजों को कभी भी, कहीं भी ऑनलाइन शेयर कर सकते हैं। यह सुविधाजनक होता हैं और समय की बचत भी करता है।
- यह कागज के उपयोग को कम करके सरकारी विभागों के प्रशासनिक भार को कम करता है।
- डिजिटल लॉकर दस्तावेजों की प्रामाणिकता को मान्य करना आसान बनाता है क्योंकि वे सीधे जारी किए गए जारीकर्ताओं द्वारा जारी किए जाते हैं।
- स्व-अपलोड किए गए दस्तावेज़ों को डिजिटल रूप से eSign सुविधा (जो कि स्व-सत्यापन की प्रक्रिया के समान है) का उपयोग करके हस्ताक्षरित किया जा सकता है।

DigiLocker प्रणाली में प्रमुख हितधारक निम्नलिखित हैं:

जारीकर्ता (Issuer): एक मानक प्रारूप में व्यक्तियों को ई-दस्तावेज जारी करने और उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराने के लिए इकाई। CBSE, रजिस्ट्रार ऑफिस, आयकर विभाग इत्यादि।

अनुरोधकर्ता (Requester): रिपॉजिटरी (जैसे विश्वविद्यालय, पासपोर्ट कार्यालय, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, इत्यादि) में संग्रहीत किसी विशेष ई-दस्तावेज़ के लिए सुरक्षित पहुँच का अनुरोध करना।

निवासी (Resident): एक व्यक्ति जो आधार संख्या के आधार पर डिजिटल लॉकर सेवा का उपयोग करता है।

डिजिटल लॉकर अकाउंट कैसे बनाये (How to Create Digital Locker Account)

आप भी अगर लॉकर खोलना चाहते हैं तो यह बहुत आसान है-

- सबसे पहले आपको http://digitallocker.gov.in/ लागइन करना होगा|
- उसके बाद आपको आईडी बनानी होगी।

- उसके बाद आप आपने आधार कार्ड नंबर लॉग इन कर दीजिये।
- फिर आपसे जुड़े कुछ सवाल आपसे पूछे जायेंगे जिसके बाद आपका अकाउंट बन जायेगा और उसके बाद आप उसमें सारे निजी दस्तावेज डाउनलोड कर दीजिये, जो हमेशा के लिए उसमें लोड हो जायेगा।
- आपका लाग इन आईडी और पासवर्ड आपका अपना होगा जिसे आप कहीं भी खोल सकते हैं।

डिजिटल लॉकर से फायदा (Benefits of Digital Locker)

- डिजिटल लॉकर का उपयोग करने से धोखाधड़ी नहीं हो सकती है
- इसमें नकली दस्तावेजों से बचा जा सकता है|
- यह पूरी तरह से साफ़ और स्वस्छ प्रोसेस है।